भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 457

उत्तर देने की तारीख : 24.07.2024

गिरजाघरों की तोड़फोड़

457. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में गिरजाघरों में बार-बार तोड़फोड़ किए जाने और उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में दक्षिणपंथी संबद्ध संगठनों द्वारा ईसाई मिशनरियों और पादरियों पर लगातार हमले किए जाने की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में उक्त राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (घ): गृह मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, पंजीकरण और सभी नागरिकों के खिलाफ अपराधों पर मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकार कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत इस प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं। व्यक्तिगत समुदायों या उनके पूज्य स्थानों पर हमलों के बारे में विशिष्ट डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

भारत सरकार देश में आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति की निगरानी करती है और कानून व्यवस्था संबंधी प्रमुख समस्याओं के मामले में राज्य सरकारों द्वारा अनुरोध किए जाने पर सहायता हेतु केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की तैनाती करती है।

इसके अलावा, सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) की स्थापना की गई है, जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित होने के बारे में विशिष्ट शिकायतों पर गौर करता है और ऐसे मामलों को उचित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अधिदेश के अनुसार, आयोग समय-समय पर प्राप्त रिपोर्टों और शिकायतों पर आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई करता है और उन्हें संबंधित राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजता है।

*****